

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक : प. 10(07)आयु. / 2018

जयपुर दिनांक : 18 FEB 2019

आदेश

राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.04.2018 की अनुशंषा पर सील्ड कवर रखे गये लिफाफे जिससे विचाराधीन कार्यवाही समाप्त होने तथा सेवा अभिलेख परिपूर्ण होने पर शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2018 को आयोजित बैठक में निम्नांकित कामिको क लिफाफे खोले जाकर परिणाम/अनुशंषा पर निम्न आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को सहायक निदेशक आयुर्वेद/वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ग्रेड-11 (पी.बी. 15600-39100 ग्रेड पे 6000/-) पे-मैट्रिक्स लेवल L-15 की वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम चिकित्साधिकारी	संवर्ग	पद रिक्ति दिनांक के विरुद्ध
1	श्री गिर्राज प्रसाद तिवाडी	GEN	05.10.2017
2	श्री सुन्दर लाल जोशी	GEN	05.10.2017
3	श्री रेवतीरमण पारीक	GEN	05.10.2017

उक्त पदोन्नतियां राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 225/2018, 226/2018, 237/2018, 238/2018 एवं 239/2018 के निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

(एच.एम.ढाका)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक:प.1/प्रति-1/राज0/व.सू./स.नि.ग्रेड II/2019/ 3452

दिनांक: 19.2.19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान-जयपुर
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर
3. अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, कोटा/भरतपुर/बीकानेर
4. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, कोटा/सवाई माधोपुर/श्री गंगानगर
5. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को देकर लेख है कि उक्त पत्र को संबंधित कार्यालयों को जरिये ई-मेल भिजवावे एवं विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड करे।
6. संबंधित कार्मिक श्री ..... को मार्फत उप निदेशक आयुर्वेद विभाग.....
7. सामान्य पत्रावली

(विजेन्द्र कुमार शर्मा)  
सहा.निदेशक